## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- मा० मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या —418/2015 के अन्तर्गत् जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत्मडक्ताली सुरखाल, मीटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.550 किमी० में पड़ने वाली 3.20 है० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र ग्राम पंचायत का नाम — गानुरा। तहसील—गंगोलीहाट, जिला—पिथौरागढ़ अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गतमङ्काली सुरखाल मीटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 किं0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.900 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.800 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मलुवानिस्तारण हेतु वन भूमि 0.400 है। अर्थात कुल 3.100 हे0 वन भूमि का अ0 ख0,लों0नि0वि0 बेरीनाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खतीगाँव द्वारा दिनांक भी १०६ २०५० को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गानुरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- क्षेत्र क्षेत्र कि अधिकारी ग्राम सचिव गंगोलीहाट(विश्वीरागड) ग्राम सचिव 11) ६) २ ७ 19 प्रमान पंचायश पानुरा भग गंगोलीहाट, विक ह0/-

ग्राम प्रधान कमला देवी 11/6/2019

## प्रपत्र-23.1

दिनांक:- को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः गानुरा।

	ग्राम सभा में स्विधित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	192101 K1E	thainth2
2	अताप रिनेश्च	VI - J.
3	y continue a	BLEAT
4	BOIL THE	13m21713
5	JIJA REE	Gramcasi Strey
6	O EINTROID	BIRT LEPT
7	a don con	39ch/-391
8	1900 4 COD	हिरिमाला देखी
9	19410101418	एवान १८५
10	YAIYAGE A	जाताया गराड
11	[20218] KIC	1921 alba
12	=112101 1212	501312101124
13	a GM सिंह	र्जम सिट
14	मध्या चिन्	मुख्या सिद्ध
15	, व्यन्य सिंह	11-40/212
16	मन्त्र देवी	रान्जर पेनी h
17	031116/118E	लक्ष्मण । एड
18	प्रकार सिंह ते	y Cichi Duis
19	Boundary	
20	GDT 4/2/2 2/XD	ज्याया सम
21	onnot radi	95 mym1695
22	61912 1429	01977 1218
23		0 1
24	191219 HZ 9	J9121-12-15
25	० रमश् सिष्ट	रमरा सिंह
26	लहम सिट्रा	MOGHOTHS
27	्या द्वा	दीपा रेवी
28	2140 सिंह	ai.
29	दान रिग्ट	GH RE
30	3710 HE 0 0	LA A
31	व काम सिंह	AMKE
32	हर सिंह	1 SPAT
33	०० ०२२० सिंह	1220
34	Idailas ittes	alderich ills
35	न नियर रिनंह	क्षेत्रा त्यड
26	TO THE	90 153
36	91212101 12/8	-गर्भण हरि

ग्राम प्रधान क्षेत्रलाद्वा

प्राण पंचादश वानुरा म्ब॰ यंत्रोबीबाट, विकाराम्

14/6/2019

परियोजना का नाम :- मार्ग मुख्यमन्त्री द्योषणा के अन्तेगत अनपद पिथीरागढ़ के विद्यानसभा क्षेत्र गंगीलीहाट में मड़कनाली रसुरवाल पाढ़क मोटर मार्ग कार्यालय उप जिलाधिकारी, ग्रेगोलीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, जोजीलीहाट

उपखण्ड ग्रेगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>भड़कनाली सुररवाल पा</u>क्क भोटट् हेतु (०,०० हे० आरक्षित वन भूमि, 1,300 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि) है० हे० पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3,100 हे० वन भूमि ) का वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल <u>3.100</u> हे0 वन भूमि ) का जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ग्रामालीहार) की दिनांक 12-08-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री स्थित मह्द्वालेखप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री नवीन यह पत उपजिलाधिकारी के शासिकारी के शिनाग श्री सह विष्यों महायक समाज कल्याण अधिकारी कारिएसदस्य / सचिव श्री अस्ति की बीठडी०सी० क्षेत्र कि कि विकासिहार

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

मङ्कनाली रुत्रस्वाल पाठक भीटर भाग

—परियोजना हेत्.3:100 हे0 वन

मूमि लोक निमाण विभाग

- प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वियोगार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सर्वसम्मति से उपखण्ड ग्रांगीलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत —परियोजना के निर्माण हेतु .3:.LQ..... हैं। वन भूमि रि. W. D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- के गालिहार जनपद ......

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, प्रियोर।यद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपखण्ड स्त्रीय वन अधिकार समिति तहसील- क्रिकार समिति

दि० 12/8/2019

1012/8/2019

भित्र प्रचायत अश्वी Pgo 12/8/2019 वि.ख.-गंगोलीहाट Pgo 12/8/2019

1.6

### FORM-1 (for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated----20/3/2021

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.100 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Berinag (name of user agency) for Madaknaali to Surkhal Pathak motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Madaknaali & Surkhal Pathak village (s) in Gangolihaat.

30)

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.100 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve roognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Amand Swarcap I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 30.3.2.) at time []...A.Mat Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 3.100 hect for the construction of for Madaknaali to Surkhal Pathak Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Berinag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: 2013 202)

Deputy Commissioner cum-Chairman

TUSTREE L

## FORM-II

# (For projects other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector

No---

Dated 20/3/2021

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that [3.1] hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Berinag (Name of user agency) for Madaknaali to Surkhal Motore Road (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction forMadaknaali & Surkhal Pathak village (s) in Gangolihaat tehsils.

#### is further certified that:

entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA; the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and

carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना विवरण :— माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र निमार्ण कार्य का मोटर मार्ग मडकनाली सुरखाल पाठक 5.00कि0मी0मेंपडनेवाली3.100हे0वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र जिलास्तरीय समिति-पिथौरागढ़

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग में 0.00 हे0 आ0 वनभूमि 0. 900 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि 1.800 हे0 वन पंचायत भूमि मलवा निस्तारण हेतु 0.400हे0 सिविल भूमि अर्थात कुल 3.100 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु 

अनुस्चित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1-श्री 3नानन्द रन्वकृप् जिलाधिकारी पिथौरागढ अध्यक्ष।

2-श्री विनय कुमार् भागिषुभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य।

3- अहार्विया समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ सदस्य / सचिव ।

सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र अधिक

ग्रामिक्ताल सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र प्रिकरि

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.100 हे0 वनभूभि लोक निमार्ण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समझ रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतू प्रत्यार्वतन की अनुशासा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथीरागढ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अभिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों की अप्रगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अत प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचापन

प्रभागीय वनाधिकारी जिला समाध फेल्याण

सदस्य / सविवारागृह

गिर्वला (विथोरागढ)

ना दताल

नेमला पचायत (पिथोरागढ)